International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 01-09-2020; Accepted: 15-09-2020; Published: 02-10-2020
www.educationjournal.org
Volume 5; Issue 5; 2020; Page No. 15-18

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव (1950) एवं सुरक्षा परिषद् की स्थिति

आनन्द अरोड़ा
विधि विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद् थी लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद् के स्वरुप में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ तथा इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद् से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। वर्तमान में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का यह विचार था कि सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानतया कार्यकारी अंग हो और महासभा एक वाद–विवाद के मंच के रूप में कार्य करे इसी को ध्यान में रखते हुए चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद् को बाध्यकारी शक्तियां प्रदान की गयी तथा महासभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन कालान्तर में परिस्थितियां बदलने के साथ–साथ 3 नवम्बर, 1950 को 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें महासभा के कार्य तथा शक्तियों का महत्व बढ़ता गया तथा सुरक्षा परिषद् का प्रभाव घटा है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विख्यात विधिशास्त्री कुन्ज के शब्दों में – "यह सुरक्षा परिषद् से कुछ शक्तियां लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था जिससे निषेधाधिकार (वीटो) से बचा जा सके तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के कार्य में कुछ संशोधन लाया जाय"।
शान्ति के लिए संगठित (एकता) होने का प्रस्ताव 1950 का रूस द्वारा विरोध किया गया लेकिन न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से महासभा के कार्य तथा शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब महासभा तथा सुरक्षा परिषद् एक दूसरे के साथ सहयोग करे तथा मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का निवारण करे। उपरोक्त आदि कारणों से इस विषय पर अध्ययन महत्वपूर्ण है।

मूल शब्द: शान्ति, सुरक्षा, एकता

प्रस्तावना
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना एवं उसे बनाये रखना है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में बाधा उत्पन्न होने पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तुरन्त एवं प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' सुरक्षा परिषद् को प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद् तथा महासभा है। चार्टर के प्रावधानों के तहत सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर सुरक्षा परिषद्के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से किये जाते है लेकिन अन्य सभी विषयों पर सुरक्षा परिषद् के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति सूचक मतों सहित, नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से किये जाते हैं। सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार (वीटो पावर) एवं दोहरा निषेधाधिकार शक्ति भी प्राप्त है। जैसे यदि कोई स्थायी सदस्य यह चाहता है कि किसी विशेष विषय पर सुरक्षा परिषद् द्वारा कोई निर्णय न लिया जाय, तो उस विषय पर नकारात्मक मत देकर, स्थायी सदस्य को सुरक्षा परिषद् के किसी विषय पर निर्णय लेने से रोक देने की शक्ति है। जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद् उस विषय पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। जबकि दोहरा निषेधाधिकार के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग दो बार कर सकते है। अतः जहां सुरक्षा परिषद् में वीटो की व्यवस्था है वहीं महासभा में निर्णय 2/3 बहुमत के आधार पर किये जाते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' सुरक्षा परिषद् को प्रदान करते समय यह भी सोचा गया था कि महाशक्तियों में एकता होगी। लेकिन सुरक्षा परिषद् में महाशक्तियों द्वारा बार–बार वीटो का प्रयोग किया जाने लगा जिससे सुरक्षा परिषद् विश्व की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होने लगी। 1950 में कोरिया के युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद् में बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। क्योंकि जब कोरिया संघर्ष के प्रारम्भ से सुरक्षा परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए दक्षिणी कोरिया के आक्रमण को रोकने का निर्णय लिया गया तो यह कार्यवाही इसलिए सम्भव हो सकी कि जब यह निर्णय लिया जा रहा था, उस समय रूस का प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् में मौजूद नहीं था। लेकिन जब 1 अगस्त 1950 को रूस का प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् में वापस आया तो सुरक्षा परिषद् में बार–बार वीटों का प्रयोग होने लगा तथा सुरक्षा परिषद् कोरिया के मामले में निर्णय लेने में असमर्थ हो गई। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने फ्रांस, ब्रिटेन आदि के समर्थन से यह प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र को इस प्रकार के संघर्षों से निपटने के लिए उचित अधिकार प्रदान किये जाये तथा उस पर महासभा को विचार करने और आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि महासभा में प्रस्ताव पारित होने के लिए दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यहां वीटो की व्यवस्था नहीं है। अतः 3 नवम्बर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने शान्ति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव पारित किया।

शान्ति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव (1950)
इसको शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत सुरक्षा परिषद् के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत

द्वारा या परिषद् के सदस्यों के बहुमत से महासभा का विशेष संकटकालीन अधिवेशन 24 घण्टे के अन्दर बुलाया जा सकता है यदि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो और वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो महासभा इस पर तुरन्त विचार कर सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही कर सकती है। इसके अलावा महासभा सामूहिक कार्यवाही के लिए सुझाव दे सकती है। इसके लिए महासभा ने एक 14 सदस्यों की सामूहिक कार्यवाही कमेटी का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए अध्ययन करना एवं उस पर अपनी रिपोर्ट देना था। इसी

उद्देश्य हेतु एक शान्ति–निरीक्षण–आयोग का भी गठन किया गया। प्रस्ताव में प्रत्येक सदस्य–राज्य से यह कहा गया कि वह अपनी सेना में कुछ ऐसी प्रशिक्षित सेना सदैव तैयार रखेगा जो संयुक्त राष्ट्र की मांग पर दी जा सके।

शांति के लिए एकता प्रस्ताव के प्रकाश में सुरक्षा परिषद् की स्थिति

शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। इस प्रस्ताव के पारित होने के पूर्व संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद् थी। लेकिन इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद् से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। हालांकि इसके कारण वीटो की व्यवस्था का अन्त नहीं हुआ, लेकिन उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का कुछ हद तक हल निकल गया है।

3 नवम्बर 1950 को शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव के पारित होने से महासभा के कार्य तथा शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। जैसे–जैसे सुरक्षा परिषद् विश्व की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती गई, वैसे–वैसे महासभा की शक्तियां बढ़ती गयी। हालांकि सुरक्षा परिषद् की असमर्थता का मुख्य कारण महाशक्तियों द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग था। इसके अलावा महासभा द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किये गये जिनका अनुमोदन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी किया, जिससे महासभा की शक्तियां और भी बढ़ गयी। इस महत्वपूर्ण विषय पर विधिशास्त्री लिओनार्ड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की थोड़ी–सी अवधि में महासभा द्वारा विद्यमान स्थिति प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण विकास है।

महासभा की शक्तियों एवं भूमिका का विस्तार

हालांकि संयुक्त राष्ट्र के स्थापित होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन महासभा की शक्तियों तथा कार्यों का निरन्तर विकास होने से हुआ। महासभा सबसे अधिक प्रतिनिधियात्मक अंग होने के नाते इसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है तथा शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव 1950 ने महासभा को और महत्वपूर्णशक्तियां प्रदान कर दी। इस प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने शांति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में कई अधिकार प्राप्त कर लिये है परन्तु महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने तथा क्रियाशील होने के बावजूद शान्ति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में महासभा महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रही। उदाहरण–कांगों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सराहनीय कार्य किया गया लेकिन रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के व्यय (युद्ध में हुए खर्च) को न देने के कारण संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तथा कार्य पूरा होने के पहले ही फौजे वापस बुलानी पड़ी। इस प्रकार कांगो–अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता के लिए महाशक्तियों में एकता व उनके द्वारा सहयोग करना आवश्यक है।

शांति के लिए एकता प्रस्ताव की वैधता एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मत

महासभा की एक परिसीमा यह है कि इसके प्रस्ताव बन्धनकारी न होकर केवल संस्तुति होते है। हालांकि महासभा के निरन्तर विकास के कारण कुछ परिस्थितियों में इसके प्रस्ताव संस्तुति से अधिक हो सकते हैं। महासभा के इस महत्वपूर्ण विकास की पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी की है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अलवारेज ने जनवध–अभिसमय के आरक्षित अधिकार नामक सलाहकारी मत में अपने निर्णय में कहा कि महासभा अन्तर्राष्ट्रीय विधायिनी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रही है। ऐसी शक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें तथा जनमत समर्थन दे।[1]

इसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका वाद में यह स्वीकार किया गया कि महासभा का प्रस्ताव बन्धनकारी नहीं होता परन्तु जब किसी विषय पर अनेक प्रस्ताव बार–बार वही बात दोहराते हो तो उस विषय पर उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पता चलता है।[2]शान्ति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव 1950 जब पारित किया गया तो रूस ने इसका विरोध भी किया। इस सम्बन्ध में रूस का यह कहना था कि यह प्रस्ताव चार्टर के प्रावधानों के विरूद्ध है। उसके अनुसार शान्ति तथा सुरक्षा की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' सुरक्षा परिषद् की है तथा वहीं इस विषय में सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

इसी आधार पर स्वेज नहर (मिश्र में) तथा कांगों में सेना पर हुए व्यय को रूस तथा फ्रान्स ने देने से इन्कार कर दिया। जिससे संयुक्त राष्ट्र को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।[3]जब महासभा द्वारा इस विवाद के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने की प्रार्थना की गई तो संयुक्त राष्ट्र के कुछ खर्चे नामक सलाहकारी मत में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने भी बहुमत से यह निर्णय दिया कि रूस तथा फ्रान्स स्वेज नहर तथा कांगों युद्ध में हुए अपने हिस्से का महासभा द्वारा निर्धारित व्यय देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अप्रत्यक्ष रूप से शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव की वैधता को स्वीकार किया है।[4] इस सम्बन्ध में एक अन्य लेखक के अनुसार वह प्रस्ताव जिन्हें राज्यों के भारी बहुमत से पारित किया जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों से पूर्णतया अनुरूप होते है, तथा लोगों के हितों को प्रतिबिम्बित करते है उन राज्यों पर भी मजबूत नैतिक प्रभाव करने की क्षमता रखते है, जिन्होंने प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान दिया है।[5] इस प्रकार महासभा ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंगों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है वरन् वह राज्यों के विश्व–समुदाय में प्रजातन्त्रात्मकता का प्रतीक इस सीमा तक हो गई है कि सुरक्षा परिषद् निषेधाधिकार से युक्त होने पर भी अनेक मामलों में महासभा से न्यून हो गई है।[6]

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से महासभा के कार्य तथा शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तथा सुरक्षा परिषद् की शक्तियों का प्रभाव कम होने लग गया। महासभा ने अब मानव जाति की संसद का रूप धारण कर लिया। जिसमें सदस्य राज्य शान्तिपूर्ण परिवर्तनों की अनेक समस्याओं पर विचार करने का साधन निकाल रहे हैं। यदि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो और वह अपने शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो महासभा इस पर तुरन्त विचार कर सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही कर सकती है।

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव का (1950) आलोचनात्मक पक्ष

इस प्रस्ताव का सोवियत गणतन्त्र द्वारा सर्वप्रथम इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे सुरक्षा परिषद् कमजोर हो जायेगी क्योंकि सुरक्षा परिषद् के शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धित पूर्ण दायित्व को उससे छीना जायेगा और चार्टर में निषेधाधिकार के आधार पर जिस समरूपता की प्रकल्पना की गई है, वह सिद्धान्त समाप्त हो जायेगा। रूसी लेखक काजीमीज ग्रन्नी बोस्की के अनुसार सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की विश्व शान्ति को सुरक्षित तथा सुदृढ़ करने की विशेष जिम्मेदारी चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् की है, सुरक्षा परिषद् ऐसा अंग है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संस्था राष्ट्र संघ से भिन्न है, संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुरक्षा परिषद् ही ऐसा अंग है जो इस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है।

प्रो. क्रिलोर के अनुसार[7]– ''महासभा के निर्णय केवल अल्पसंख्यकों के मत के विरूद्ध बहुमत के आधार पर विधिक शक्ति से हीन समझे जाने चाहिये यदि अल्पसंख्यकों के हित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों तथा सिद्धान्त के अनुकूल है अल्पसंख्यकों को इन निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके अलावा कुछ सदस्यों ने इसकी इस आधार पर आलोचना की कि इस प्रस्ताव से चार्टर में वास्तविक संशोधन हो गया, क्योंकि महासभा केवल एक प्रमुख अंग है। अतः इसे यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह कोई एक अंग की स्थापना करे जिसके निर्णय पूरी संस्था को मान्य हो। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस तर्क से अस्वीकार करते हुए महासभा द्वारा निर्मित प्रशासनिक न्यायाधिकरण की वैधता को स्वीकार किया है।

विधि शास्त्रीयों के मत

अनेक विधि शास्त्रीयों ने शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव के बारे में इस प्रकार मत प्रकट किये –

प्रो. ड्यूराज एण्ड्रासी के अनुसार[8] शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की शान्ति और सुरक्षा करने की मशीनरी का सुधार करना था। डॉ. नगेन्द्र सिंह के अनुसार – ''शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव का वास्तव में महासभा के संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।[9] प्रो. गुडस्पीड के मतानुसार :– सुरक्षा परिषद् के पतन तथा प्रस्ताव द्वारा महासभा के उत्थान एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उदय होना कदाचित संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन है।[10] जोसेफ एल कुन्ज के अनुसार :– यह सुरक्षा परिषद् से कुछ शक्तियां लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था, जिससे निषेधाधिकार से बचा जा सके तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के कार्य में कुछ संशोधन लाया जाय।[11] इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महासभा के चार्टर के अनुच्छेद 17 में वर्णित शक्तियों का स्पष्टीकरण करते हुए कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी शान्ति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव की वैद्यता को स्वीकार किया। इसी सम्बन्ध में डॉ. सिंह के अनुसार महासभा ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंगों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है वरन् वह राज्यों के विश्व समुदाय में प्रजातन्त्रात्मकता का प्रतीक इस सीमा तक हो गई है कि सुरक्षा परिषद् निषेधाधिकार से युक्त होने पर भी अनेक मामलों में महासभा से न्यून हो गई है।''[12] न्यायाधीश अलवरेज के अनुसार :– महासभा के प्रस्तावों तथा घोषणाओं को अभी तक एक बन्धनकारी प्रकृति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वे प्राप्त कर सकते है यदि उन्हें जनमत का सहारा मिल जाये।''[13]

"संयुक्त राष्ट्र के कुछ खर्चे 1962" नामक सलाहकारी मत में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश सर पर्सी स्पेन्डर ने अपने पृथक निर्णय में कहा कि चार्टर का ध्येय यह था कि वह अपने को बदलती हुई उन परिस्थितियों के अनुकूल बनायेगा। जिन्हें इसके निर्णय के समय न तो सोचा गया था और न ही सोचा जा सकता था।

उपर्युक्त वाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मत को डॉ. नगेन्द्र सिंह ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है – ''चार्टर से सम्बन्धित अनुच्छेदों विशेषकर 10, 11 तथा 14 का न्यायालय ने जो निर्वचन किया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि निस्संदेह शान्ति तथा सुरक्षा का 'प्राथमिक उत्तरदायित्व' सुरक्षा–परिषद् का है, परन्तु इसकी (सुरक्षा–परिषद्) 'अकेली' जिम्मेदारी नहीं है। 'प्राथमिक' शब्द के लक्ष्यार्थ यह होते हैं 'शेष' जिम्मेदारी जो आवश्यक रूप से महासभा की होनी चाहिये क्योंकि यह ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।''[14]

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शान्ति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव 1950 वैद्य है। मिस गटरिज ने उचित लिखा है कि – ''यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों से संगत है तथा इसका उद्देश्य चार्टर के अध्याय 7 को नजरअन्दाज करने का नहीं है तथा न ही इसे महासभा को वह शक्तियां देना है जो अध्याय 7 में सुरक्षा–परिषद् की हैं। प्रस्ताव इस बात को स्वीकार करता है कि शान्ति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा–परिषद् के असफल हो जाने से सदस्यों या संयुक्त राष्ट्र की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है।''[15]

निष्कर्ष

वास्तव में देखा जाये तो अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत महासभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चार्टर से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न पर विचार कर सकती है।[16] इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अनुसार शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् की है।[17] लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी का तात्पर्य यह नहीं है कि सुरक्षा परिषद् शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने में असमर्थ होती है तो संयुक्त राष्ट्र संस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी। वैसे भी अनुच्छेद 24 से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाा सकता कि यदि सुरक्षा परिषद् फौरन तथा प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पाती या असमर्थ हो जाती है तो पूरी संस्था की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है।

संक्षेप में इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब महासभा तथा सुरक्षा परिषद् एक दूसरे के साथ सहयोग करे तथा मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का निवारण करे।

सन्दर्भ सूची

1. जन वध अभिसमय के आरक्षित अधिकार ''आई. सी. जे. रिपोर्टस् 1951 पेज 15
2. सैमुएल ए ब्लीकर ''द लीगल सिगनीफिकेन्स ऑफ ईअर'' ए. जे. आई. एल. वाल्यूम 63 (1969)
3. आस्कर स्कैकटर : लीगल ऐस्पेक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स ऐक्शस इन कांगो, आई.जे.आई.एल., वॉल्यूम 56 (1966)
4. आई.सी.जे. रिपोर्टस्
5. द रोल ऑफ द जनरल असेम्बली रिजोल्यूशन्स, आई.जे.आई. एल. (1988) पेज 236
6. नगेन्द्र सिंह, रिसेन्ट ट्रेन्डस इन द डेवलपमेन्ट ऑफ इन्टरनेशनल लॉ एण्ड वर्ल्ड पीस 1969 पेज 15
7. सोवियत इम्पैक्ट आन इन्टरनेशनल लॉ (1969) पेज 50
8. सोवियत इम्पैक्ट आन इन्टरनेशनल लॉ पेज 51
9. युनाइटिंग फार पीस, ए.जे.आई.एल. पेज 563
10. नगेन्द्र सिंह पेज 11
11. द नेचर एण्ड फन्क्शन ऑफ इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन,

पेज 158
12. डॉ. नगेन्द्र सिंह इन्टरनेशनल लॉ एण्ड वल्ड पीस पेज 15
13. जी. के. डमन्तीवा तथा आई लुकाशुक ''द रोल ऑफ द जनरल असेम्बली रिजोल्यूशन्स इन द इन्टरनेशनल मेकिंग'' पेज 246–247
14. डॉ. नगेन्द्र सिंह, नोट 52 (1979) पृ. 11–12
15. जे. ए. सी. गजरिज, द यू. एन. इन द चेन्जिंग वर्ल्ड, 25–26
16. संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 10
17. संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 24